कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 13300 /प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 27/9/2023

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   खंड.....

विषयः–दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायी वर्गीकरण आदेश के आधार पर अथवा बिना स्थायी वर्गीकरण आदेश के समानता के आधार पर वेतन एरियर राशि की मांग संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिमिटेशन एक्ट के संदर्भ में पारित निर्णयों को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कराये जाने बावत्।

––0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समक्ष दैनिक वेतनभोगी स्थायी वर्गीकृत एवं बिना स्थाई वर्गीकरण वाले कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये, ऐसे प्रकरण सामने आये है जिनमें एक निर्धारित अवधि से वेतन अंतर राशि चाही गई है।

इन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे न्याय दृष्टांतों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक है, जिनमें एरियर राशि की पात्रता के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी कर्मचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने की दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है।

कृपया नोट करें कि ये निर्णय बिना स्थायी वर्गीकरण आदेश वाले प्रकरणों में तथा स्थायी वर्गीकरण वाले ऐसे प्रकरणों में जिनमें निर्धारित अवधि की एरियर राशि प्राप्त कर लेने के उपरांत भी कर्मचारी द्वारा और अधिक अवधि की एरियर राशि की मांग की गई है, दोनों ही प्रकृति के प्रकरणों में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।

न्याय दृष्टांतों का विवरण निम्नानुसार है:–

1.माननीय उच्चतम न्यायालय का प्रकरण कमांक एम आर गुप्ता बनाम भारत संघ [1996 AIR 669] [1995 SCC(5)628]

2.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 /2008 **"भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह"** में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008

3.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349 /2023 **" धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य"** में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023

4.माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित आदेश निर्णय दिनांक 11.04.2022

5 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 13892/2022 (हृदयराम यादव बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022

6. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 4802/2023 (श्री निवास मिश्रा बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2023

इन सभी निर्णयों की प्रतिया संलग्न करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र के साथ संलग्न निर्णय सार एवं निर्णयों को याचिकाओं के जवाबदावा तैयार करते समय शासकीय अधिवक्ताओं के संज्ञान में आवश्यक रूप से लायें तथा इन्हें जवाबदावे के साथ प्रस्तुत करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कृपया ध्यान रखें कि न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण में उदासीनता या लापरवाही हेतु संबंधितो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार निर्णय सार एवं छः निर्णय

2/1
प्रमुख अभियंता

निर्णय सार

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायी वर्गीकरण आदेश के आधार पर अथवा बिना स्थायी वर्गीरकण के समानता के आधार पर वेतन एरियर राशि की मांग संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिमिटेशन एक्ट के संदर्भ में पारित निर्णयों का सार

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के माध्यम से वेतन एरियर राशि की राशि हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने एवं एरियर राशि की पात्रता के संबंध यह अभिनिर्धारित किया गया है:–

(i) त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्त होने वाले मामलों में "Cause of action" यानि **"विवाद का कारण"** सिर्फ एक बार उस समय पैदा नहीं होता जबकि जिस समय कोई लाभ दिया जाना था, नही दिया गया अथवा सरकार द्वारा कर्मचारी के दावे को खारिज कर दिया गया हो । बल्कि यह निरंतर रूप से हर माह भुगतान होने वाले वेतन के साथ उत्पन्न होते रहता है क्योंकि उसे जो वेतन मिल रहा है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। जब तक कर्मचारी सेवा में है तब तक हर माह उसे मिलने वाले वेतन के साथ ही एक ताजा "Cause of action" उत्पन्न होता है, इसलिये गलत वेतन को सुधारने के मामलों में लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिये, निर्धारित अवधि की गणना करते समय सेवारत रहते हुये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । अतः सेवारत् रहते हुए किसी भी समय माननीय न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने हेतु वाद दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण पेंशन के मामलों में भी सेवानिृवत्ती के उपरांत उसे सुधारने के मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ii) यदि आवेदक का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के समय के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में आवेदक का दावा यदि कोई है जो त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्ति के कारण वेतन एरियर की प्राप्ति से संबंधित है, जिसकी गणना वेतन अंतर की राशि के आधार पर की जाती है तो वह लिमिटेशन एक्ट में दी गई समय–सीमा के अंतर्गत आयेगा और वह एक्ट में प्रावधानित अवधि से अधिक अवधि की एरियर राशि का पात्र नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 में इस हेतु एरियर राशि की पात्रता अवधि मान न्यायलय के समक्ष प्रकरण दायर करने से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की निर्धारित की गयी है ।

इस संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत प्रमुख है:–

(अ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य"** में पारित निर्णय **दिनांक 21 अगस्त 1995** [1996 AIR 669, 1995 SSC (5) 628]